Email: director.cswri@icar.gov.in दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No.6(438)SP/2023/ **Dated 06-03-2023**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के मझोला **सैक्टर (ब्लॉक नम्बर–17 व 19)** पर खरीफ,रबी और जायद सीजन में हरा/सुखा चारा के उत्पादन व सेक्टरों में लगे बहुवर्षिय पेंड–पौधों व सैक्टरों की देखभाल/रखरखाव अनुबन्ध **at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	**F.No.6(438)SP/2023/**
Date and Time for issue/Publishing	06-03-2023 at 5.00PM
Document Download/Sale start date and time	07-03-2023 at 10.00AM
Bid Submission Start Date and Time	07-03-2023 at 10.00 AM
Bid Submission End Date and Time	16-03-2023 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	17-03-2023 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- Earnest money Rs.10,000/- Security money – 10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Assistant Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 1000/- (Rupees One Thousend only) in favour of **"ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura"**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of thecontract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on orbefore last date / time of Bid Submission.**
   a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
   b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
   c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
   d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
   e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

    The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
    1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
    2. Scanned copy of Pan card
    3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST,a certificate is required showing his turnover to be less than Rs.20 lakhs & his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
    4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
    5. Scanned copy of D.D. of Tender Fees and E.M.D.
    6. Tender acceptance letter (Annexure I)
    7. Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

अनुबन्ध प्रस्ताव

कम संख्या	अनुबन्ध का प्रकार	अनुमानित मात्रा	दर का प्रकार	अनुमानित लागत
सूखा चारा				
01	(अ) मैगनी का खाद डालना व प्रक्षेत्र में समान रूप से बिखेरना।	100 ट्रेक्टर ट्रोली	प्रति ट्रेक्टर ट्रोली	
	(ब) अंजन घास की बुवाई करना। आवश्यकतानुसार पुनः बुवाई करना। (बुवाई का कार्य मजदूरो से टिलर के कुंडो में सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा)	2.5 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(स) प्रक्षेत्र में नये व पुराने अंजन घास की निराई–गुडाई करना जिससे अंजन चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार यूरिया खाद का छिडकाव करना।(मौसम के अनुसार क्षेत्रफल कम या ज्यादा हो सकता है)	8 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(द) अंजन घास का बीज एकत्रित करना।	100 किलोग्राम	प्रति किलोग्राम	120 रू./ कि.ग्रा.
	(य) सैकरस घास की कटाई से लेकर ढुलाई, तुलाई एवं भण्डारण करना।	100 क्विटंल	प्रति क्विटल	
	(र) अंजन घास की कटाई के बाद कुट्टी करना। जिसमें ट्रेक्टर अनुबन्धकर्ता का होगा।	100 क्विटंल	प्रति क्विटल	
02	(अ) सैक्टर के विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों/इसरायली बबूलो के ठूठो को हटाना तथा अन्य अवांछित पदार्थो/अवशेषों को हटाना तथा ट्रेक्टर से हुड की ऊँचाई तक पेडो की छंगाई करवाना। बुश क्लीगं कार्य	10 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(ब) खरीफ फसल में चौला व ग्वार की बुवाई से लेकर कटाई तक सभी कियायें (जैसे–फसल की कटाई एवं सुरक्षा व देखभाल) चौला की कुट्टी करना एवं ग्वार की थ्रेसिंग स्वयं की मशीन से करना तथा बीज एवं भण्डारण तक कार्य करना जिसमें ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।	चौला– 150 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		ग्वार– 150 क्विंटल	प्रति क्विटल	
	(स) खरीफ फसल में चौला एवं ग्वार की निराई–गुड़ाई करना जिसमें फसले खरपतवार रहित होनी चाहिए।	5 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(द) ग्वार/चौला की फसल का बीज एकत्रित कर भण्डारण करना।	1 क्विटंल	प्रति क्विंटल	
हरा–चारा				
03	(अ) सैक्टर पर ब्लॉक संख्या–17 एवं 19 में लगभग 5 हैक्टर सिंचित क्षेत्रो में सभी कृषि कियाए अपनाते हुए सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार हरे चारे की उत्पादन रिजका, जई/जौ एवं बाजरा के चारे का उत्पादन (रिजका व जई की बुवाई का कार्य अक्टुबर व नवम्बर माह तथा बाजरे की बुवाई फरवरी व मार्च में होगी।)	रिजका– 50 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		जई/जौ–600 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		बाजरा– 700 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
04	(अ) ब्लॉक संख्या 17 व 19 में सैक्टर के कार्यालयों के आस–पास लगभ्ग 20 मीटर चारो ओर बने रास्तों की सफाई, पेड–पौधों को पानी पिलाना इत्यादि कार्य। आवश्यकतानुसार पौधारोपण हेतु गड्डे बनाना तथा सैक्टर की देखभाल व फेन्सिंग की सुरक्षा करना।उत्पादन की सभी कियाये करना ।	12 माह	प्रति माह	
	(ब) अविखाद के गड्डों में आवश्यक खाद, ऊन एवं फसल अपशिष्ट भरना एवं तैयार होने पर गड्डो से निकालना इत्यादि कार्य की देखभाल सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करना/देखभाल करना।	अविखाद की सभी ट्रेन्च		
	नोट–पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।			

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के मझोला **सैक्टर (ब्लॉक नम्बर–17 व 19) पर खरीफ,रबी और जायद सीजन में हरा/सुखा चारा के उत्पादन व सेक्टरों में लगे बहुवर्षिय पेंड–पौधों व सैक्टरों की देखभाल/रखरखाव अनुबन्ध** नियम व शर्ते

नियम एवं शर्ते

1. नये एवं पुराने अंजन घास चरागाह प्रक्षेत्र में झाड़ियों की सफाई, निराई–गुड़ाई करने के दौरान चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए ।
2. अंजन घास चरागाह में अगर बुवाई के बाद खाली जगह रहने पर अंजन घास की पुनः बुवाई की जावें जिसका अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
3. अंजन चरागाह से समय पर पक्का हुआ बीज को एकत्रित करना होगा जिसमें बीज की शुद्धता का ध्यान रखना होगा तथा संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलवाकर फार्म अनुभाग के भण्डार में जमा कराना होगा ।

4. अनुबन्धकर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं करनी होगी । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।
5. अजंन घास की कटाई के बाद धर्मकांटे पर तुलवाने भेड/बकरी सेक्टरो पर डालने के बाद तुलवाई गई घास की आवश्यकतानुसार कुट्टी करवानी होगी जिसमें धर्मकांटे पर पहले से ही वजन के आधार पर कुट्टी करवाने का भुगतान क्रम संख्या 5 में दर्शायी दर के आधार पर किया जावेगा ।
6. चरागाह प्रक्षेत्र से अंजन घास की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार करनी होगी तथा घास की तुलवाई निर्धारित स्थान भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा ।
7. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा
8. मानसून एवं विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना / क्षतिपूर्ति नही दी जावेगी ।
9. अजंन घास के उत्पादन से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा ।

सुखा / हरा चारा उत्पादन

1. खरीफ /रबी/जायद मौसम में फसलों की फसलो कि बुआई प्रभारी, फार्म /प्रतिनिधि के बताये अनुसार करनी होगी।
2. बुआई हेतु एरिया का निर्धारण प्रभारी, फार्म सेक्टर प्रभारी प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।
3. मौसम की अनुकूलता/प्रतिकूलता के अनुसार आपसी सहमति से बुवाई का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जा सकता है।
4. चारा (सुखा / हरा) फसलों के उत्पादन हेतु संस्थान द्वारा फील्ड तैयार एवं बुवाई हेतु ट्रेक्टर व उपकरण उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. बुआई हेतु बीज, खाद एवं उर्वरक, कीट एवं रोग नाशक (आवश्यकतानुसार) संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।
6. खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई, तुलाई, ट्रेक्टर में भरना इत्यादी कार्य अनुबंधकर्ता द्वारा किया जाना हैं, इसके लिये लगने वाले श्रमिक अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।
7. काटे गये सुखे चारे में नमी की मात्रा अधिकतम 10 होनी चाहिए ।
8. सुखे चारे को धर्मकांटे पर तुलवाने, भेड/बकरी सेक्टरो पर डालने के बाद तुलवाई गये चारे की आवश्यकतानुसार कुट्टी करवानी होगी। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा। कूट्टी कर चारा सेक्टर के चारा गोदाम में खाली स्थान पर ड़ालना होगा।
9. काटे गये हरे चारे/ सुखे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र प्रभारी, सेक्टर /गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य होगा।
10. सेक्टरों पर आपुर्ति किये जाने वाले हरे चारे का वजन प्रति दिन प्रभारी भेड़ / बकरी सेक्टर / प्रतिनिधि के समक्ष करना होगा।
11. अनुबंध अवधि के दौरान मानसून, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार हर्जाना/क्षति पूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
12. अनुबन्धकर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं करनी होगी । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। रबी व गर्मी की फसलों मे सिचाई के
पानी के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करना होगा।
13. जौ एवं जई का बीज उत्पादन में सभी सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार कृषि कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें एवं थ्रेसींग का कार्य स्वंय अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा ।
14. चारे के परिवहन हेतु ट्रेक्टर मय ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। चारे को ट्रोली में भरना एवं खाली करने का कार्य अनुबंधकर्ता का होगा।
15. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि कि किसी भी कार्य को परिस्थिति के अनुसार हटाया भी जा सकता हैं।
16. सेक्टर पर उपलब्ध सभी सामानों/सम्पती को सम्पूर्ण अवधि में 24 घन्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वंय अनुबंधकर्ता की होगी।

मैगनी / अन्य खाद ड़ालना

1. प्रक्षेत्र मे मैगनी खाद बिखेरने का कार्य इस हेतु ट्रैक्टर मय ट्रॉली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी । खाद भरने एवं बिखेरने का कार्य अनुबंधकर्ता को करना होगा । खाद को पूरे खेत मे समान रूप से बिखेरना होगा ।
2. ट्रेक्टर मय ट्रॉली उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराये जायेगे । खाद ड़ालने का कार्य फसल बुआई से 45–60 दिन पूर्व सम्पन्न करना होगा।

अरडु / अन्य चारा वृक्षों की छ्गाई

1. प्रक्षेत्र में लगे चारा वृक्षों की छ्गाई बताए गए समय के अनुसार करनी होगी, पत्तियों को ईकठ्ठा कर, सुखाना, ट्रेक्टर में भरना, तुलाना एव भेड़ सेक्टर / बताए गए स्थान पर ड़ालने का कार्य अनुबंधकरता को करना होगा ।

कटौतियां :–

1. अनुबंधकर्ता /प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गईअथवा कोई नुकसान चौरी/क्षति पहूंचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबंधकर्ता को नकद करनी होगी। अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी।
2. अनुबंधकर्ता को रात की रखवाली भी स्वंय अनुबंधकर्ता की होगा। यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उक नुकसान की भरपाई अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति किवन्टल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षेत्र/प्रभारी सेक्टर/सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
3. Variation Clause Subject to force Measure को देखते हुये प्रस्ताव की तय की गई निशिचत मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर पेन्ल्टी क्लोज लागू नही होगा। परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निशिचत मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। इस तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा।

   जैसे : यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 किवन्टल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादित होने पर अर्थात 800 किवटंल तक कोई पेनल्टी कलोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 किवन्टल ही रह जाती है, तो उस स्थिती में कम उत्पादन मात्रा 100 किवन्टल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

   ठीक इसी तरह यदि निशिचत की गई उत्पादन मात्रा 1000 किवन्टल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंध्कर्ता को अर्थात 1200 किवन्टल तक कोई पेन्ल्टी क्लोज लागू नही होगा। परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 किवन्टल हो जाने पर ऐसी

स्थिती में 200 किवन्टल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा। अर्थात कुल मात्रा 1380 किवन्टल का ही अनुबंधकर्ता को भुगतान देय होगा।

4. फसल अवधि के दौरान मौसम की प्रतिकूलता एवं अन्य प्रतिकूल कारकों के होने पर Variation Clause Subject to force Measure लागू नही होगा।

अन्य नियम एव शर्ते

1. प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एव रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। दिन व रात्रि में चारा फसलों कि रखवाली स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी हागी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा की जावेगी। नुकसान का आकंलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
2. अनुबंध अवधि के दौरान मानसून, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार हर्जाना/क्षति पूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
3. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होगें । कार्य अपूर्ण या
4. समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
5. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्यो प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
6. सैक्टरों के अन्तर्गत सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवैलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करना, सैक्टरों पर रखे सामानो की सुरक्षा करना, कार्यालयों के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई–छगांई, पेड़–पौधें को पानी डालना, ब्लांक अजोला एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निदेर्शानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना ।
7. सेक्टर पर फेंसिग के चारो तरफ पौधे लगाना, पानी पिलाना, देखभाल करना, थावले बनाना एव संबन्धित सभी कार्य करना ।
8. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
9. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
10. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (नदकमतजांपदह) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, फार्म अनुभाग/प्रतिनिधि से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
12. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर / मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का म्च्थ्/ भ्प् इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं
अपने स्तर पर करेगा।
13. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी।
14. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
16. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा आवश्यक करवा लें।
17. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
18. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा।
जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
20. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
21. इस अनुबंध में G-F-R-] 2017 (Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागु होगें।
22. वित्तिय निविदा में दरें भरने से पूर्व इस अनुबंध में दिये गये स्थान, क्षेत्र पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये यहां आकर संबंधित अनुभाग प्रभारी से जानकारियां ले लेवें या उन स्थानों का अपने स्तर पर अवलोकन कर लेवें। इसकी जानकारियां दुरभाष सं दृ01437–220160 द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं।
23. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
24. सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
25. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी एक / सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
26. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www-cswri-res-in& e&procure-gov-पद पर उपलब्ध हैं।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnels at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector, the institute may reject such tenders. In case of two or more tenderers quoting same rates, the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @10% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter, itcan be extendedfor one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions as per discretion of Director.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause of liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be sufferedbytheagencyonaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of Incharge, Farm-Section/Representative, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.

17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (wherever applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by Incharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Assistant Administrative Officer
(S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

F.No.6(438)SP/2023/ दिनांकः 06.03.2023

<u>निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)</u>

अनुबन्ध प्रस्ताव

कम संख्या	अनुबन्ध का प्रकार	अनुमानित मात्रा	दर का प्रकार	अनुमानित लागत
सूखा चारा				
01	(अ) मैगनी का खाद डालना व प्रक्षेत्र में समान रूप से बिखेरना।	100 ट्रेक्टर ट्रोली	प्रति ट्रेक्टर ट्रोली	
	(ब) अंजन घास की बुवाई करना। आवश्यकतानुसार पुनः बुवाई करना। (बुवाई का कार्य मजदूरो से टिलर के कुंडो में सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा)	2.5 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(स) प्रक्षेत्र में नये व पुराने अंजन घास की निराई–गुडाई करना जिससे अंजन चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार यूरिया खाद का छिडकाव करना।(मौसम के अनुसार क्षेत्रफल कम या ज्यादा हो सकता है)	8 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(द) अंजन घास का बीज एकत्रित करना।	100 किलोग्राम	प्रति किलोग्राम	**120 रू./ कि.ग्रा.**
	(य) सैकरस घास की कटाई से लेकर ढुलाई, तुलाई एवं भण्डारण करना।	100 क्विटंल	प्रति क्विटल	
	(र) अंजन घास की कटाई के बाद कुट्टी करना। जिसमें ट्रेक्टर अनुबन्धकर्ता का होगा।	100 क्विटंल	प्रति क्विटल	
02	(अ) सैक्टर के विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों/इसरायली बबूलो के ठूठो को हटाना तथा अन्य अवांछित पदार्थो/अवशेषों को हटाना तथा ट्रेक्टर से हुड की ऊँचाई तक पेडो की छंगाई करवाना।बुशक्लीनिगं कार्य	10 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(ब) खरीफ फसल में चौला व ग्वार की बुवाई से लेकर कटाई तक सभी कियायें (जैसे–फसल की कटाई एवं सुरक्षा व देखभाल) चौला की कुट्टी करना एवं ग्वार की थ्रेसिंग स्वयं की मशीन से करना तथा बीज एवं भण्डारण तक कार्य करना जिसमें ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।	चौला– 150 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		ग्वार– 150 क्विंटल	प्रति क्विटल	
	(स) खरीफ फसल में चौला एवं ग्वार की निराई–गुड़ाई करना जिसमें फसले खरपतवार रहित होनी चाहिए।	5 हैक्टर	प्रति हैक्टर	
	(द) ग्वार/चौला की फसल का बीज एकत्रित कर भण्डारण करना।	1 क्विटंल	प्रति क्विंटल	
हरा–चारा				
03	(अ) सैक्टर पर ब्लॉक संख्या–17 एवं 19 में लगभग 5 हैक्टर सिंचित क्षेत्रो में सभी कृषि कियाए अपनाते हुए सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार हरे चारे की उत्पादन रिजका, जई/जौ एवं बाजरा के चारे का उत्पादन (रिजका व जई की बुवाई का कार्य अक्टुबर व नवम्बर माह तथा बाजरे की बुवाई फरवरी व मार्च में होगी।)	रिजका– 50 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		जई/जौ–600 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
		बाजरा– 700 क्विंटल	प्रति क्विंटल	
04	(अ) ब्लॉक संख्या 17 व 19 में सैक्टर के कार्यालयों के आस–पास लगभ्ग 20 मीटर चारो ओर बने रास्तों की सफाई, पेड–पौधों को पानी पिलाना इत्यादि कार्य। आवश्यकतानुसार पौधारोपण हेतु गड्डे बनाना तथा सैक्टर की देखभाल व फेन्सिंग की सुरक्षा करना।उत्पदान की सभी कियायें करना । (ब) अविखाद के गड्डों में आवश्यक खाद, ऊन एवं फसल अपशिष्ट भरना एवं तैयार होने पर गड्डो से निकालना इत्यादि कार्य की देखभाल सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करना/देखभाल करना। नोट–पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।	12 माह अविखाद की सभी ट्रेन्च	प्रति माह	

नोट : अनुबन्ध सारणी क्रम संख्या 1 से 04 में दर्शाये गये कार्या हेतु ओवरआल न्यूनतम दर दाता को दिया जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्षायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्षाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्षायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के** मझोला **सैक्टर (ब्लॉक नम्बर–17 व 19) पर खरीफ,रबी और जायद सीजन में हरा/सुखा चारा के उत्पादन व सेक्टरों में लगे बहुवर्षिय पेंड–पौधों व सैक्टरों की देखभाल/रखरखाव अनुबन्ध** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्षायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

F.No.6(438)SP/2023/ दिनांकः 06.03.2023

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के मझोला **सैक्टर (ब्लॉक नम्बर–17 व 19)** पर खरीफ,रबी और जायद सीजन में हरा/सुखा चारा के उत्पादन व सेक्टरों में लगे बहुवर्षिय पेंड–पौधों व सैक्टरों की देखभाल/रखरखाव अनुबन्ध से संबंधित कार्य की दरे एवं सभी करों एवं खर्चो सहित निविदा के साथ संलग्न BUQ Sheet **में प्रस्तुत करे।**

नोट :– निम्नलिखित कार्य के लिए निविदादाता को पूर्व निर्धारित दर पर ही सेवा उपलब्ध कराना होगा। अतः CPP Portal पर संलग्न BUQ Sheet के आधार एल–1 आने वाले निविदादाता निम्नलिखित कार्य पर दी गयी दर पर करेगें

अनुबन्ध का प्रकार	अनुमानित मात्रा	दर का प्रकार	अनुमानित लागत
(द) अंजन घास का बीज एकत्रित करना।	100 किलोग्राम	प्रति किलोग्राम	**120 रू./कि.ग्रा.**

दिनांक––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता टेलीफोन/मोबाईल नं.